

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/प्रारं/बजट/बी-2/9611/2016-17/79
जिला शिक्षा अधिकारी/व.उप जि.शि.अ.
प्रारंभिक शिक्षा

दिनांक:- 13/06/2016

विषय:-04-चिकित्सा व्यय में राशि आवंटन बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माँग संख्या-24लेखामद 2202-सामान्य शिक्षा01-प्रारंभिक शिक्षा 196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता, (07)-निरीक्षण [01]-स्थापना व्यय (आयोजना भिन्न व्यय) के अन्तर्गत विस्तृत मद 04-चिकित्सा व्यय में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए निम्नलिखित कार्यालय को उसके नाम के सामने अंकित राशि का आवंटन गंभीर रोग से पीड़ित कर्मचारियों अथवा उनके परिवार के सदस्यों के इलाज पर हुवे चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण हेतु किया जा रहा है । राशि का उपयोग राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 1970/2013 तथा वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जावे ।

क्र.स.	OFFICE CODE	कार्यालय का नाम	आवंटित (रूपये राशि में)	कर्मचारी का नाम एवं पद
1	1513	जिशिअ प्राशि जयपुर	78481	श्री राजेन्द कुमार शर्मा , अति.जि.शि.अ. के माता के गंभीर रोग उपचार पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु ।
2	1696	व.उप.जिशिअ प्राशि जयपुर शहर पश्चिम	161562	श्री राघव कुमार शर्मा लिपिक ग्रेड II के स्वयं के गुर्दा रोग उपचार पर हुए व्यय के पुनर्भरण हेतु ।
		योग	240043	

(शब्दों में रुपये दो लाख चालिस हजार तैयालिस मात्र)

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.5(थ-75) कोष/IFMS/कोषालय/23484-23623 दिनांक 13.12.2013 के तहत IFMS अंतर्गत कोषालय से प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख तक बुक किये आय-व्यय के आंकड़ों का मिलान 14 तारीख तक एवं 11 तारीख से माह के अन्त तक बुक किये गये आंकड़ों का मिलान आगामी माह की 3 तारीख तक आवश्यक रूप से किय जावे ।

उपरोक्त राशि का आवंटन इस शर्त के साथ जारी किया जा रहा है, कि राशि का भुगतान संबंधित कर्मचारियों को चिकित्सा पुर्नभरण नियमानुसार करने का दायित्व संबंधित अधिकारी का होगा। यदि अधिक भुगतान होता है तो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक F9(14)fd\rules\2005pt जयपुर दिनांक 22.07.2014 के अनुसार रिकवरी सुनिश्चित करें।


लेखाधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक राजस्थान जयपुर।
2. सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक), माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर।
3. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान अनुभाग।
4. रक्षित पत्रावली।


लेखाधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर